पत्रांक– 6 / वि० 9–28 / 11 मा०.....

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी /

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक।

पटना, दिनांक :– ...../

विषय :– **छात्रों को तम्बाकू के दुष्परिणामों से बचाने के लिए तम्बाकू निषेध दिशा निर्देशों का अनुपालन तथा शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकु निषेध घोषित करने के संबंध में।**

महोदय,

आप अवगत होंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी **54 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में तम्बाकू सेवन करती है जो देश में सर्वाधिक है।** सारे संसार में तम्बाकू का उपयोग मौत का पहला कारण तो है ही साथ ही वर्त्तमान एवं भविष्य की आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी बढ़ती चिन्ता का कारण है। एक तिहाई से अधिक वयस्कों की 35 प्रतिशत आबादी भारत में किसी न किसी रूप में तम्बाकू सेवन करती है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2009) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबधित जो आँकड़े संकलित किये गये हैं वह यह दर्शाता है कि भारत में 13–15 वर्ष के 14.6 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। युवाओं को तम्बाकू उत्पाद की पहुँच से बचाने के लिए भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा–6 में यह प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तम्बाकू नहीं बेचा जा सकता है तथा **किसी भी शैक्षणिक संस्थान के आसपास (100 गज की दूरी) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबन्ध है।** इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के बाहर निम्नलिखित वैधानिक चेतावनी लिखा एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रहना चाहिए।

"विद्यालय के 100 गज के दायरे में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय उपराध है। इसका उल्लंघन किये जाने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।"

सोशियो इकौनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाईटी (सीड्स/SEEDS) एक बहुआयामी संस्था है जो साक्षरता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वन एवं पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु पूर्ण मनोयोग से कार्यरत् है। सीड्स जहाँ एक ओर अपेक्षित तथा पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न विकासोन्मुखी कार्यों को लागू करने में प्रयासरत् हैं वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक–आर्थिक तथा विकासात्मक क्षेत्रों में गहराई से शोध एवं मूल्यांकन का कार्य करता है।

इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में सीड्स, नई दिल्ली अवस्थित एक संस्था हृदय/HRIDYA' (हेल्थ रिलेटेड इन्फार्मेशन डिस्सेमिनेशन एमौन्गस्ट यूथ) के साथ मिलकर एक *तम्बाकू निषेध नियंत्रण कार्यक्रम– 'बिहार में कारगर तम्बाकू नियंत्रण हेतु विभिन्न विधियों से समर्थन प्राप्ति हेतु जागरूकता तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना'* विषयक परियोजना पर कार्यरत् है। यह परियोजना बिहार सरकार के राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित है तथा वर्त्तमान में राज्य के 5 जिले यथा -- भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर तथा वैशाली में संचालित है।

हमारा प्रयास यह है कि इन पाँच जिलों के कम से कम 100 शैक्षणिक संस्थाओं के बीच हम पहुँचें तथा उनसे आग्रह करें कि तम्बाकू निषेध संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी युवाओं/छात्रों को दी जाय; **डिस्प्ले बोर्ड वैधानिक चेतावनी के साथ लगे** तथा **31 मई, 2011 को तम्बाकू निषेध दिवस** का आयोजन हो एवं स्कूल तथा कॉलेजों को **तम्बाकू से मुक्ति दिलाने का संकल्प** लिया जाय।

'हृदय' स्वयंसेवी संस्था दो दशक पूर्व से ही तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में जागरूकता अभियान, शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा शोध कार्य कर रही है। हृदय संस्था ने दिल्ली तथा चेन्नई के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित स्वविकसित दिशा निर्देशों को लागू करने का अभिनव प्रयोग किया है। यह एक परियोजना **'माबिलाइजिंग यूथ फॉर टोबैको रिलेटेड इनिसिएटिम्स इन इण्डिया'** के अंतर्गत किया गया प्रयास था। परियोजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, वर्त्तमान में तम्बाकू उपयोग को कम करना तथा भविष्य में युवा इसकी ओर आकृष्ट न हों इसकी चेष्टा करना। उपरोक्त दिशा निर्देश (हृदय संस्था द्वारा विकसित) को बिहार के विद्यालयों द्वारा स्वीकार कर लागू किया जा सकता है ताकि एक तम्बाकू रहित विद्यालय की

परिकल्पना साकार हो सके, एक नीति बन सके। **'गाइडलाइन्स फॉर टोबैको फ्री स्कूल्स'** के नाम से विकसित दिशा निर्देश की एक प्रति आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है। यह क्रमवार दिशानिर्देश **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा सी०बी०एस०ई०** द्वारा विकसित दिशा निर्देशों का संकलन है। इसी क्रम में हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि **विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई, 2011)** से पूर्व इन दिशा निर्देशों को अपने यहाँ लागू करवाने का कष्ट करें तथा **अपने परिसर एवं आस–पास के क्षेत्रों को तम्बाकू रहित क्षेत्र घोषित करें।** इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाई की सूचना **सोशियो इकौनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाईटी (सीड्स/SEEDS)** को भी देने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 704 / पटना, दिनांक : 02/06/11 /

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

1/6/11
(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना।

अनुलग्नक :–

(1) दिशानिर्देश की कॉपी।

(2) GYTS Fact Sheet की कॉपी।